न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—456/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00456)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. शेर सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. भंवर कंवर पुत्री विक्रम सिंह पत्नि गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी पुस्तला जिला सवाईमाधोपुर राजस्थान।
3. सुनिता कंवर पुत्री विक्रम सिंह पत्नि भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा परबतसर जिला नागौर राजस्थान।
4. कुन्दन कंवर बेवा श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून हाल निवासी रावण गेट कालवाड रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान
5. हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून हाल निवासी रावण गेट कालवाड रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
6. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून हाल निवासी रावण गेट कालवाड रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
7. हरदयाल सिंह पुत्र श्री नवल सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान। (फौत)
   7/1 जितेन्द्र सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   7/2 बलवीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   7/3 प्रवीण कंवर पुत्री हरदयाल सिंह पत्नि मान सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद हाल निवासी बेनवडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।
   7/4 अनिता कंवर पुत्री हरदयाल सिंह पत्नि उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद हाल निवासी लाडौली तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान।
8. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, जिला, जयपुर विरूद्ध आदेश दिनांक 06.11.2019 राजस्व वाद संख्या 88/2014.

उपस्थितः—

1. श्री आर0एस0खंगारोत, अभिभाषक अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. श्री नानूराम धाभाई, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7/1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 7/2 से 7/4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 08.09.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो स्व0 नवल सिंह के वंशज है जिनका सिजरा अंकित करते हुए बताया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 62 के खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 है0 भूमि वाके ग्राम जैवल्यान का बास तन मोखमपुरा तहसील मौंजमाबाद में स्थित है जो वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के दादा स्व0 पृथ्वी सिंह एवं उदय सिंह अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से दर्ज खातेदारी में चली आ रही है जिस पर प्रार्थी का तन्हा कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बुजुर्गो के नाम से विवादित आराजी के अलावा अन्य खातेदारी भूमियां भी रही है जो भी चारों भाईयों के नाम से एवं अलग अलग नाम से रही है लेकिन वरवक्त भाईयों की मौजूदगी में काबिज भूमियों का मुताबिक कब्जा के बंटवारा लिखित रूप से दिनांक 19.04.1995 को करके मौके पर कब्जा चला आ रहा है आज भी विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख 1 लगायत 3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के पितामह एवं अप्रार्थी संख्या 7 के मध्य में लिखित में दिनांक 19.04.1995 को बंटवारा ग्राम बिचून, बासडा, जैवल्यान का बास में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 354, 355, 356, 353, 357, 358 कुल किता 06 कुल रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बासडा तहसील मौजमाबाद में स्थित है एवं आराजी खसरा नम्बर 1559 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1520 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा के ग्राम बिचून एवं छीतर का रकबा जो भी वादी के हिस्से में उक्त सम्पूर्ण आराजीयात अप्रार्थीगण के हिस्से में रहेगी। मोहन सिंह प्रार्थी का हक हिस्सा नहीं रहेगा। बंटवारा समझौता अनुसार खतौनी संख्या 55 की आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 है0 है, जो वाके ग्राम जैवल्या की ढाणी तन मौखमपुरा की आराजी प्रार्थी के हिस्से में रहेगी इसमें अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं रहेगा। उपरोक्त बंटवारा कर समझौता के जरिए काबिज काश्त चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारा के दर्ज नहीं होने से आपस में परेशानी हो रही है। आराजीयात खतौनी संख्या 62 के आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 है0 नए खसरा नम्बर है एवं साबिक खसरा नम्बर 1720 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जैवल्या की ढाणी तन मौखमपुरा प्रार्थी के हिस्से में जरिए बंटवारा प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी तन्हा काबिजे काश्त है एवं पैदावार प्राप्त कर रहा है, मुतबातिर उक्त आराजी को उपजाऊ बनाने के उददेश्य से आराजी को लेवलिंग करवाने व मेडबंदी करवाने एवं खात डालकर

हजारों रूपए खर्च कर देने से पैदावार बेहतर होने लगी है प्रार्थी काफी वृद्ध व्यक्ति है और कब प्राण पखेरू उड जावें, पीछे बच्चों में विवाद नहीं रहे इसलिए उपरोक्त आराजीयात अभी तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी, क्योंकि परिवार में इस दरमियान में भाईयों की भतीजों की मृत्यु होती रही है, ज़िससे प्रार्थी स्नेहवश नहीं करवा सका अब जब स्वयं का स्वास्थय बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा तो प्रार्थी के लिए विवादित आराजीयात मुताबिक बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण को आराजी नाम लगाने के लिए दिनांक 25.06.2014 को कहने से एवं अप्रार्थी द्वारा आराजी नाम नहीं लगाकर आराजी अपने–अपने हिस्से की विक्रय करने की फिराक में होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्य बिंदुओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुए दादरसी चाही है कि अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम जैवल्यान का बास तन मौखमपुरा को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजामजाहमत न स्वयं करें न अन्य से करावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने पर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम दृष्टया प्रकरण का विवेचन कर दिनांक 06.11.2019 को स्थगन आदेश जारी कर दिया, उक्त स्थगन आदेश को उभय पक्षकारों को सुनकर वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 7/2 से 7/4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मातहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किए बगैर सरसरी तौर पुर ही पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2019 निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट का कब्जा काश्त मुताबिक विभाजन पत्र के होने के बावजूद मातहत अदालत ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी को सुपुर्द जरिए लिखावट मालिकाना कब्जा सुपुर्द करने की स्वकारोक्ति के अनुसार निर्णित नहीं किय जाकर गलत रूप से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनके मध्य विवादित आराजी को लेकन जो विवाद है उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्धांत पारित किया है कि एक ही परिवार के सदस्यों के विवाद होने पर किसी को हस्तांतरण नहीं किए जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है फिर भी न्यायालय ने नजीरों का हवाला अपने निर्णय में नहीं देकर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने चारों भाईयों को सहखातेदार माना है जबकि सह खातेदार एवं पारिवारिक सदस्यों की स्थिति में भिन्नता होती है सह खातेदार तो परिवार के सदस्य नहीं होने पर भी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक सह खातेदार परिवारजन

8.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं हो सकता है किसी भी परिवार के सदस्य को हस्तांतरण के लिए स्वतंत्र छोडना वादों की बहुलता के संबंध में भी अपना मत निश्चय करना चाहिए था जो इस प्रकरण के निस्तारण में दर्ज नहीं किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र सिद्ध किया है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट के पूर्वजों द्वारा जरिए लिखावट दिनांक 19.04.1995 स्वीकारोक्ति देकर स्वीकार किया है एवं अपीलांट की होना एवं कब्जा स्वीकार किया जिससे प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट भी पाबंद है एवं लगान रसीदे आदि दस्तावेज कब्जे को मालिकाना को सिद्ध करती है फिर भी मातहत अदालत ने अपूर्तनीय क्षति स्वीकार नहीं कर कानूनी भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि विवादित आराजी का वाकै ग्राम जैवल्यान का बास तन मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद में स्थित होना एवं वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के दादा पृथ्वी सिंह एवं उदय सिंह अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से दर्ज होना सही है, स्वीकार है, शेष कथन जिस प्रकार से तहरीर व तकमील किया गया है, गलत है। प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार से तहरीर व तकमील किया गया है, गलत है अस्वीकार है। दिनांक 19/04/1995 की लिखावट का गलत रूप से वर्णन किया गया है, किसी प्रकार की कोई लिखावट नहीं लिखी गई है। प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है। जब किसी प्रकार से दिनांक 19/04/1995 को किसी प्रकार की कोई लिखावट ही नहीं लिखी गई तो उसके अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने-अपने 1/4-1/4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। विवादित आराजी के अलावा अन्य जो आराजीयात का प्रार्थी द्वारा वर्णन किया गया है, उससे उत्तरदाता अप्रार्थीगण से कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से 1/4-1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जब किसी प्रकार का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है, तो समयाभाव बताकर आराजी नाम लगाने को तैयार नहीं होना अपने आप में हास्यास्पद है। जब किसी प्रकार से दिनांक 19.04.1995 को बंटवारा ही नहीं हुआ तो प्रार्थी का काबिज काश्त होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अर्थात 1/4-1/4 अनुसार काबिज है। दिनांक 25/6/2014 का वाका प्रार्थी ने गलत अंकित किया है। किसी प्रकार से कोई बैचान की धमकी नहीं दी गई है। प्रार्थी ने गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिज निरस्त किए जाने योग्य है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में अप्रार्थीगण को पाबंद कर दिया गया तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण को होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया विवादित खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 हैक्टर उक्त खसरा नम्बर जमाबंदी ग्राम जेवल्यिान का वास की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 का अवलोकन किया गया जमाबंदी के कॉलम नम्बर 04 में मोहन सिंह पृथ्वी सिंह हरदयाल सिंह उदय सिंह पिता नवल सिंह कौम राजपूत साकिन देय खातेदार के रूप में अंकन किया हुआ है। वर्तमान अपीलांट मोहनसिंह का पुत्र है। अपील मिमो के अनुसार हरदयाल सिंह पुत्र नवल सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पोडेंट 7/1 से लेकर 7/4 हरदयाल सिंह के वारिस हैं। वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 के प्रार्थना पत्र पर दिए गए आदेश दिनांक 6.11.2019 के विरूद्ध की गई। 212 के प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2019 को राजस्व रिकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश दिया गया था। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया कि उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाए। बहस में मुख्य रूप से प्रार्थी अभिभाषक ने बताया कि पारिवारिक समझौते के अनुसार वे काबिज है। वकील अप्रार्थी ने मुख्य रूप से बहस में यह बताया कि भूमि सहखातेदारी की है। प्रार्थी किसी लिखावट के आधार पर आए हैं जो हमने नहीं लिखी है। हमारे नाम लिखे खसरा नम्बर भी अभी अपीलांट के नाम दर्ज है। बंटवारे में खसरा नम्बर निर्देशित किए हुए हैं। उक्त समझौता 1995 का है जिसकी पालना नहीं हुई हैं हमारा विवादित खसरा नम्बर में हिस्सा 1/4 है हम हरदयाल सिंह के विधिक वारिसान है। हरदयाल सिंह का नाम अभी भी खातेदार के रूप में दर्ज है। इकरारनामा दिनांक 19.4.1995 इकरारनामा पुराने खसरा नम्बरों के आधार पर लिखा गया है। उक्त इकरारनामें के अनुसार मोहन सिंह पुत्र नवलसिंह को खतौनी संख्या 55 की आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा ग्राम जेवल्यिा की ढाणी तन बिचून तहसील दूदू एवं आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वांसी ग्राम बिचून में स्थित भूमियां देना अंकित किया है। जिसमें विक्रम सिंह, श्यामसिंह एवं हरदयाल सिंह का कोई हक नहीं रहेगा ऐसा अंकित किया है। उक्त इकरारनामें पर हरदयालसिंह पुत्र नवल सिंह विक्रम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह एवं श्याम सिंह पुत्र उदयसिंह के हस्ताक्षर है। साक्षीगण में नरेन्द्र कंवर सर्वण पेरवा एवं एक अन्य के हस्ताक्षर हैं। वर्तमान रेस्पोडेंट 1 से 3 विक्रम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के वारिस हैं तथा रेस्पोडेंट 4 से 6 उदयसिंह के वारिस हैं। मिलान क्षेत्रफल ग्राम जेवल्यिा का बांस मिसल बंदोबस्त अवधि दिनांक 28.10.2002 से 27.10.2022 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 1.22 साबिक खसारा नम्बर 1120 रकबा 1.22 से बना है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068 से 2071 ग्राम जेवल्यिा का वास मोहनसिंह, पृथ्वी सिंह, हरदयाल सिंह, उदयसिंह पिता नवल सिंह, कौम राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि सहखातेदारों के नाम दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है। वकील अपीलांट ने स्वयं पारिवारिक समझौते को बहस में महत्व दिया है और कहा है कि उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार विवादित खसरा नम्बर मोहनसिंह को दिया जाना बताया है। मगर वकील रेस्पोडेंट के अनुसार हमारे नाम लिखे खसरा नम्बर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

18.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

भी अभी अपीलांट के नाम दर्ज है। इससे यह पता लगता है कि पारिवारिक समझौते की पालना नहीं की गई। अपीलांट प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक यह चाहा गया है कि विवादित भूमि को रेस्पोडेंट रहन बय मुंतिकल नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे व ना किसी से करावे। अपील मीमो के अनुसार विवादित भूमि पर वह अकेला समझौते के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त बात मूल वाद में गवाहों व बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में तय होगी। समझौते के अनुसार अन्य रेस्पोडेंट भी क्या उन्हें दी गई भूमियों पर उसी अनुरूप काबिज है यह बात भी दावे में विचारण के दौरान तय हो पाएगी। अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तानांतरण से बचाना भी है। जब परिवार के सदस्यों के बीच घोषणा का वाद लंबित हो तथा भूमि को हस्तांतरण किए जाने का डर हो भूमि को हस्तांतरण नहीं करने बाबत खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। धारा 212 के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रावधान प्रतिबंधात्मक है जिसका उददेश्य विवाद की विषय वस्तु में अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति तक बनाए रखना है। तथा आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है। जिससे विवाद और नहीं बढे। आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 373, शंकरलाल एवं अन्य बनाम कैलाश, आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 812, आर0बी0जे 2005 पेज 405,आरआरडी 2005 पेज 349, मेहरचंद बनाम ओम प्रकाश के न्यायिक प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांत में उपरलिखित बातों को सही माना है। वर्तमान प्रकरण में न्यायालय यह उचित समझता है कि वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा की जाए। जिससे उसे खुर्द–बुर्द नहीं किया जा सके। अपीलांट द्वारा भी मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने तथा विवादित भूमि को रहन, बैचान एवं हस्तानांतरण नहीं करने बाबत प्रार्थना की है।

7. अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 88/2014 में पारित आदेश दिनांक 6.11.2019 को निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद के निरस्तारण तक विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

8.9.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

8.9.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner